न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
230/2010 वादपत्र	07.10.2010	31/7/2025

उनवान

1. रामा मुतबन्ना मांग्या उर्फ मांगीलाल पिता श्री लालू चमार (बैरवा) निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाडा (राज०) मृतक के बजाय :–
1/1 – शंकर पुत्र रामा, उम्र वयस्क, निवासी रूपाहेली फौत
1/1/1– सुगना पत्नि स्व. शंकर लालनिवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
1/1/2 – विनोद पुत्र स्व. शंकर लाल, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
1/1/3 – नारायण पुत्र स्व. शंकर लाल, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
1/2– छितर पुत्र रामा, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा रामदेव पुत्र शंकर बैरवा, उम्र वयस्क, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) **मृतक का पुत्र**
1/3 – चांदी पुत्री रामा, पत्नि भवानीशकर निवासी रूपाहेली हाल निवासी जवाहरनगर भीलवाड़ा

–– वादीगण

बनाम

1. श्रीमति नन्दू बेवा अमरा चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) **लाऔलाद फौत**
2. श्री शंकर मुतबन्ना उगमा चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. श्री लोब्या उर्फ भागु पिता श्री लालू चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) **फौत के बजाय :–**
   3/1 – अणछी पत्नि लोब्या उर्फ भागु पिता श्री लालू चमार, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्री हजारी पिता श्री लालू चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) **लाऔलाद फौत**
5. मु. रूकमा पुत्री रूपा चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. मु. रामु पुत्री रूपा, चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. मु. सोहनी पुत्री रूपा चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. प्रहलाद पुत्र श्री देबी खटीक, निवासी कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. मदन पुत्र लादु बलाई, निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. कन्हैया लाल पुत्र श्री खुमा बलाई, निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाड़ा व अन्य

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0ए
में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :–
1–अधिवक्ता वादीगण श्री अम्बालाल कुमावत, उपस्थित।
2–अधिवक्ता प्रति. सं0 09, 10 व 11 की और से श्री प्रकाशचन्द्र सरगरा उपस्थित।
3– प्रतिवादी संख्या 08 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

-:: निर्णय ::-

प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 ने प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजियात वादी द्वारा मांग्या उर्फ मांगी लाल का गोदपुत्र होना बताकर व मांग्या उर्फ मांगी लाल को लाऔलाद बताकर उक्त वादपत्र दिनाक 06/10/2010 को पेश किया गया, जबकि मांग्या उर्फ मांगी लाल के पुत्री लक्ष्मी होकर मांग्या पुत्र श्री भोला चमार की विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 1836 दिनांक 20/09/2010 को ही रतन, गोपाल सम्पति पिता हीरा माता लक्ष्मी चमार के नाम पर खोला गया उक्त नामान्तरणकरण खुलने के बाद ही वादी द्वारा उक्त वादपत्र पेश किया गया व उक्त खातेदारान रतन, गोपाल, सम्पति द्वारा अपना निहित हक हिस्सा हम प्रतिवादीगण प्रहलाद पुत्र श्री देबी खटीक आयु वयस्क निवासी– कोदूकोटा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०), मदन पुत्र श्री लादू बलाई आयु वयस्क निवासी– पालड़ी तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०) एवं कन्हैया लाल पुत्र श्री खुमा बलाई आयु वयस्क नियासी–आकोला तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०) को दिनांक 25/11/2010 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये विक्रय की गयी, जो हमारे नाम पर दर्ज हो चुकी है। मांग्या उर्फ मांगी लाल के विधिक वारीसान द्वारा भूमि विक्रय की जा चुकी है, मांग्या उर्फ मांगी लाल का कोई हक अधिकार नहीं रहा है. जिससे वादी किसी प्रकार की घौषणात्मक अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। जिसके अभाव मे वादपत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य है।

वादी द्वारा गोदपुत्र की हैसियत से वादपत्र पेश किया है, गोद बाबत कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज भी नही है, जब तक वादी सिविल न्यायालय से गोदपुत्र बाबत प्रोबेट प्रमाणपत्र जारी नहीं करा देता है, तब तक उक्त प्रकरण चलने योग्य नही है, गोदपुत्र की घौषणा करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से उक्त वादपत्र प्रथम दृष्टया पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है। प्रतिवादीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित हो रखे है, रजिस्टर्ड विकयपत्र को राजस्व न्यायालय में चैलेज नहीं किया जा सकता है। इस कारण से उक्त वादपत्र न्यायालय आप के क्षेत्र एंव श्रवणाधिकार का नही होने से खारीज होने योग्य है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद हैतुक उत्पन्न नही हुआ है, वाद हैतुक के अभाव मे वादपत्र पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा०दी० के तहत सव्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादीगण की और से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी बाबत् वादीगण द्वारा बाद पत्र धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसमें वादीगण ने अपने परिवार का पारिवारीक सजरा प्रस्तुत कर रखा है एवं मांग्या उर्फ मांगीलाल लाऔलाद फौत हुये है जिसके हक हिस्से पर वादीगण काबिज है एवं मांग्या उर्फ मांगीलाल की पुत्री लक्ष्मी नाम की कोई महिला नहीं थी गलत तौर पर विरासत का नामान्तरण अपने नाम पर खुलवाया गया जबकि नामान्तरण खुलवा लेने मात्र से कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं होता है और उक्त नामान्तरण के आधार पर आराजी को गलत तौर पर दिनांक 25.11.2010 को उक्त आराजी को खुर्द बुर्द किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है वादी ने जो बाद पत्र प्रस्तुत किया है वह अपने हक अधिकार बाबत है जिसका निस्तारण प्रकरण में साक्ष्य पेश होने पर ही उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है इस स्टेज पर आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी ने गोद पुत्र की घोषणा बाबत् कोई वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया है खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का ही है। इस कारण से प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने आदेश 7 नियम 11 में वर्णित प्रावधानो का अनुसरण नहीं किया है इस कारण से भी इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादीत जायदाद के संबध में वाद हेतुक उत्पन हुआ है इस कारण से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकार के रूप में 12.05.2025 को बनाया गया। जबकि वादी का वाद पत्र सन् 2010 से विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 09 व 10 व 11 को अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर अपनी आपति दर्ज करवाई जानी चाहिये एवं माननीय न्यायालय द्वारा विवाधक बनाकर ही विधिवत उक्त वाद पत्र के क्षेत्राधिकार बाबत् विचार किया जाना चाहिये लेकिन प्रतिवादी संख्या 09, 10, 11 द्वारा आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र को खारीज किये जाने का अनुतोष चाहा जो इस स्टेज पर प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विवादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 09, 10, 11 एवं उसके पूर्व लक्ष्मी जिसे मांग्या उर्फ मांगीलाल की पुत्री बताकर कथाकथित विकय पत्र का निष्पादन अपने हक में बताकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो साक्ष्य से ही साबित किया जा सकता है इस स्टेज पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब को रेकार्ड पर लिया जाकर प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र को सव्यय खारीज कराया जावे।

प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजियात वादी द्वारा मांग्या उर्फ मांगी लाल का गोदपुत्र होना बताकर व मांग्या उर्फ मांगी लाल को लाऔलाद फौत बताकर उक्त वादपत्र दिंनाक 06/10/2010 को पेश किया गया।

वादी द्वारा गोदपुत्र की हैसियत से वादपत्र पेश किया है, गोद बाबत कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज भी नही है, जब तक वादी सिविल न्यायालय से गोदपुत्र बाबत प्रोबेट प्रमाणपत्र जारी नहीं करा देता है, तब तक उक्त प्रकरण चलने योग्य नही है, गोदपुत्र की घौषणा करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से उक्त वादपत्र प्रथम दृष्टया पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है। प्रतिवादीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित हो रखे है, रजिस्टर्ड विकयपत्र को राजस्व न्यायालय में चैलेज नहीं किया जा सकता है। इस कारण से उक्त वादपत्र न्यायालय आपके क्षेत्र एंव श्रवणाधिकार का नही होने से खारीज होने योग्य है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद हैतुक उत्पन्न नही हुआ है, वाद हैतुक के अभाव मे वादपत्र पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा०दी० के तहत सव्यय खारीज कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी बाबत् वादीगण द्वारा बाद पत्र धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसमें वादीगण ने अपने परिवार का पारिवारीक सजरा प्रस्तुत कर रखा है एवं मांग्या उर्फ मांगीलाल लाऔलाद फौत हुये है जिसके हक हिस्से पर वादीगण काबिज है एवं मांग्या उर्फ मांगीलाल की पुत्री लक्ष्मी नाम की कोई महिला नहीं थी गलत तौर पर विरासत का नामान्तरण अपने नाम पर खुलवाया गया जबकि नामान्तरण खुलपा लेने मात्र से कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं होता है और उक्त नामान्तरण के आधार पर आराजी को गलत तौर पर दिनांक 25.11.2010 को उक्त आराजी को खुर्द बुर्द किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है वादी ने जो वाद पत्र प्रस्तुत किया है वह अपने हक अधिकार बाबत है जिसका निस्तारण प्रकरण में साक्ष्य पेश होने पर ही उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है इस स्टेज पर आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 09, 10, 11 के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं इस प्रार्थना पत्र का वादीगण की और से प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया।

वादग्रस्त ग्राम रूपाहेली, पटवार हल्का रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 284 रकबा 00–19 बीघा, आराजी नम्बर 287 रकबा 00–18 बीघा, आराजी नम्बर 288 रकबा 00–11 बीघा, आराजी नम्बर 289 रकबा 01–02 बीघा, आराजी नम्बर 1664 रकबा 03–05 बीघा, आराजी नम्बर 1665 रकबा 00–06 बीघा, आराजी नम्बर 1666 रकबा 01–06 बीघा, आराजी नम्बर 1667 रकबा 00–02 बीघा, आराजी नम्बर 1668 रकबा 00–09 बीघा, आराजी नम्बर 1669 रकबा 01–15 बीघा, आराजी नम्बर 1670 रकबा 00–17 बीघा, आराजी नम्बर 1671 रकबा 00–17 बीघा, आराजी नम्बर 1672 रकबा 01–02 बीघा, आराजी नम्बर 1673 रकबा 00–13 बीघा, आराजी नम्बर 1674 रकबा 00–19 बीघा, आराजी नम्बर 1675 रकबा 00–17 बीघा, आराजी नम्बर 1676 रकबा 01–00 बीघा, आराजी नम्बर 1677 रकबा 01–08 बीघा, आराजी नम्बर 1695 रकबा 01–06 बीघा, आराजी नम्बर 1696 रकबा 01–03 बीघा, आराजी नम्बर 1697 रकबा 05–07 बीघा कुल किता 21 कुल रकबा 26–02 बीघा भूमि नामान्तकरण संख्या 1836 दिनांक 20.09.2010 विरासत से मांग्या पिता भोला के बजाय रतन, गोपाल, सम्पति पिता हीरा (माता लक्ष्मी) चमार सा0 दर्री 1/2 के नाम दर्ज हुयी। तत्पश्चात् रतन, गोपाल, सम्पति पिता हीरा (माता लक्ष्मी) चमार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रहलाद पिता देबी खटीक निवासी कोदूकोटा 1/8, मदन पिता लादू बलाई सा0 पालडी 1/8, कन्हैयालाल पिता खुमा बलाई 1/4 सा0 आकोला को बेचान कर दी जिसका नामान्तकरण संख्या 1904 दिनांक 14.12.2010 को प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 के पक्ष में निष्पादित किया गया। राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज हो चुका है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 के अधिवक्ता ने बताया कि वादी परीक्षण न्यायालय के समक्ष मांग्या उर्फ मांगीलाल के गोदपुत्र की हैसियत से वादग्रस्त आराजियात बाबत् वादपत्र पेश किया है किन्तु गोद जाने सम्बन्धी कोई दस्तावेज वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये है। इस प्रकार वादी मांग्या उर्फ मांगीलाल का गोदपुत्र होने से वाद पेश किया, गोद साबित करने हेतु दस्तावेज पेश नहीं किया इस आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक वह मांग्या उर्फ मांगीलाल का गोदपुत्र घोषित न हो। वादी सक्षम सिविल न्यायालय में अपने आप को गोदपुत्र साबित कराये बिना वाद लाने का अधिकारी नहीं है। इसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टांत **(Citation : 2023 (1)DNJ (Rev.) 462, (Citation : 2023 (2)DNJ (Rev.) 1351** प्रस्तुत किया है। जो इस प्रकरण पर चस्पा होते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

—:: आदेश ::—

प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है कि वादीगण के वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से एवं वादी का वाद विधि विरूद्ध होने से प्रतिवादी संख्या 09, 10, 11 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के अन्तर्गत वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करें, तद्नुसार डिक्री जारी करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 230/2010 वादपत्र | दायर दिनांक 07.10.2010 | निर्णय दिनांक 03/7/2025

उनवान

रामा मुतबन्ना मांग्या उर्फ मांगीलाल पिता श्री लालू चमार (बैरवा) निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाडा (राज०) मृतक के बजाय :–

1/1 – शंकर पुत्र रामा, उम्र वयस्क, निवासी रूपाहेली फौत

1/1/1– सुगना पत्नि स्व. शंकर लालनिवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा

1/1/2 – विनोद पुत्र स्व. शंकर लाल, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा

1/1/3 – नारायण पुत्र स्व. शंकर लाल, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा

1/2– छितर पुत्र रामा, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा रामदेव पुत्र शंकर बैरवा, उम्र वयस्क, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा

1/3 – चांदी पुत्री रामा, पत्नि भवानीशकर निवासी रूपाहेली हाल निवासी जवाहरनगर भीलवाड़ा

–– वादीगण

बनाम

1. श्रीमति नन्दू बेवा अमरा चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) **लाऔलाद फौत**
2. श्री शंकर मुतबन्ना उगमा चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. श्री लोब्या उर्फ भागु पिता श्री लालू चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) **फौत के बजाय :–**

   3/1 – अणछी पत्नि लोब्या उर्फ भागु पिता श्री लालू चमार, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्री हजारी पिता श्री लालू चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) **लाऔलाद फौत**
5. मु. रूकमा पुत्री रूपा चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. मु. रामु पुत्री रूपा, चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. मु. सोहनी पुत्री रूपा चमार (बैरवा), निवासी रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. प्रहलाद पुत्र श्री देबी खटीक, निवासी कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. मदन पुत्र लादु बलाई, निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. कन्हैया लाल पुत्र श्री खुमा बलाई, निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाड़ा।

–– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता वादीगण श्री अम्बालाल कुमावत, उपस्थित।

2–अधिवक्ता प्रति. सं0 09, 10 व 11 की और से श्री प्रकाशचन्द्र सरगरा उपस्थित।

3– प्रतिवादी संख्या 08 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0ए

में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी की और से अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत एवं प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 की और से श्री प्रकाशचन्द्र सरगरा उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 25/7/25 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 संपठित धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है कि वादीगण के वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से एवं वादी का वाद विधि विरूद्ध होने से प्रतिवादी संख्या 09, 10, 11 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के अन्तर्गत वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा